उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या– 27/2016

सेवकी महतो बनाम् तरूण देवी एवं राज्य

क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
24.01.2020	–:: आदेश ::– अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या– 10/2014–15 श्रीमती तरूण देवी बनाम् राज्य में दिनांक 12.03.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S-16 Jharkhand Tenants Holding (Maintenance Of Record) Act. 1973 के तहत् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रिविजन वाद आवेदक सेवकी महतो, पिता–स्व० अमृत महतो, ग्राम–डीमरा, थाना–बरलंगा, जिला–रामगढ़ के द्वारा दायर किया गया है। दायर रिविजन वाद के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्टि के बिन्दु पर विधिवत् सुनवाई कर वाद अंगीकृत करते हुए, प्रश्नगत् भूमि के बावत् विपक्षीगण को अपना दावा–दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख प्राप्त कर सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा प्रस्तुत कागजतों का अवलोकन किया, स्पष्ट है कि :– (क) दायर रिविजन वाद में विवादित् भूमि मौजा–डीमरा, थाना नं0–83, थाना–बरलंगा अर्न्तगत खाता नं0–01, प्लॉट नं0–1302, रकबा–0.50 एकड़ भूमि का नामांतरण/हस्तान्तरण एवं हक–हकियत तथा स्वामित्व निर्धारण से संबंधित है। (ख) बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि के बावत मान्नीय Sub Judge-I, Senior Division, Ramgarh के न्यायालय में T.S-45/18 लम्बित है, जिसमें अपीलार्थी (प्रतिपक्ष क्र०सं०–01) को पक्षकार बनाया गया है, उक्त दावा के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस की प्रति तथा दायर आवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में प्रस्तुत/समर्पित किया गया है।	

अवलोकन से स्पष्ट है कि मान्नीय व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में प्रश्नगत भूमि के बावत स्वामित्व निर्धारण हेतु स्वत्व वाद लम्बित है तथा अपीलार्थी को पक्षकार बनाया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत् भूमि से संबंधित राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निर्देश पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में **बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है**। मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल पर राजस्व कार्यालय/न्यायालय द्वारा विधिवत अग्रेतर–आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख भेंजे तथा अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

331/विधि
29/04/20

लेखापित एवं संशोधित

29/01/2020

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।